अनुदान संख्या 52 - गृह मंत्रालय
GRANT No. 52 - MINISTRY OF HOME AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	4921,54,00	4921,61,00	3093,14,16	-1828,46,84
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1698,10,59
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	28,85,00	53,45,00	31,93,31	-21,51,69
पूरक	Supplementary	24,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	17758.00			
पू.	S.	2.00	19156.66	17404.58	-1752.08
पु.	R.	1396.66			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	12928.00			
पू.	S.	4.00	11158.94	8647.96	-2510.98
पु.	R.	-1773.06			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	30000.00	0.04	..	- 0.04
पु.	R.	- 29999.96			
मुख्य शीर्ष "3454"	Major Head "3454"				
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	411362.00	271042.19	263092.89	-7949.30
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-140320.81			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head"3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	19892.00	20899.72	20132.02	-767.70
पु.	R.	1007.72			

(I) ₹30230.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹30200.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹30230.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹30200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "जनगणना - निदेशन और प्रशासन - भारत का महापंजीयक" - ₹30000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से सबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे ।

(A) Major Head "2552" - "Census - Direction and Administration - Registrar General of India" - ₹30000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - चुनाव - अन्य अनुदान - संसद और राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती" - ₹200.00 लाख राज्य सरकारों से दावों के प्राप्त न होने के कारण थे ।

(B) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Elections – Other Grants – Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" – ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of claims from State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - गृह मंत्रालय का विभागीय लेखांकन संगठन" के अंतर्गत ₹741.52 लाख की बचत (₹1745.00

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Departmental Accounting Organisation of MHA" –

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम पदों का सर्जन किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने, यात्रा और चिकित्सा बिलों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों और वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए संविदाओं को प्रदान करने में विलम्ब होने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''क्षेत्रीय परिषदें - अंतर्राज्यीय परिषद'' - ₹227.48 लाख की बचत (₹521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यालय खर्चों, यात्रा और चिकित्सा बिलों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(खा) ''विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग'' - ₹561.36 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3140.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई ।

(गा) ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा का नवीकरण'' - ₹168.39 लाख की बचत (अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹201.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और घरेलू यात्रा खर्चों तथा कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(घा) ''अग्नि से बचाव और नियंत्रण'' -

(क) ''राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय'' - ₹178.77 लाख की बचत (नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹476.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा तथा छुट्‌टी यात्रा रियायत के लिए दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ख) ''अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण'' - ₹1182.58 लाख की बचत (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2000.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और अग्नि संकट

saving of ₹741.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1745.00 lakhs) was due to creation of less posts, non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards travel and medical bills and delay in award of contracts for data entry operators and annual maintenance contract.

(III) Under Major Head "2070" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Zonal Councils – Inter State Council" – saving of ₹227.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹521.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards office expenses, travel and medical bills.

(B) "Special Commissions of Inquiry – Other Commissions" – saving of ₹561.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3140.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2012) was due to non-finalization of plan schemes and non-filling up of vacant posts.

(C) "Civil Defence - Revamping of Civil Defence" - saving of ₹168.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹201.50 lakhs including token supplementary grant of ₹1.50 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012) was due to non-finalisation of plan schemes and requirement of less funds towards domestic travel expenses and office expenses.

(D) "Fire Protection and Control" –

(a) "National Fire Service College" - saving of ₹178.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹476.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in November, 2011 and March, 2012) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of claims towards medical and leave travel concession.

(b) "Strengthening of Fire and Emergency Services" - saving of ₹1182.58 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2000.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in August, 2011) was due to non-

तथा जोखिम विश्लेषण अध्ययन, घरेलू यात्रा खर्चों और कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) ''राजभाषा'' -

(क) ''केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी शिक्षण'' - ₹118.09 लाख की बचत (₹1708.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी नकदीकरण के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - ₹1527.04 लाख की बचत (नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2906.65 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, सॉफ्टवेयर विकास का कार्य पूरा न होने और विज्ञापन तथा प्रचार संबंधी नीति को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3454'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनगणना'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - ₹1789.87 लाख की बचत (₹7072.89 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और मानदेय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(ख) ''जनगणना आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण'' -

(i) ''जनगणना आंकड़ों को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली'' - ₹1188.12 लाख की बचत (₹8087.33 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, हिन्दुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड से दावे प्राप्त न होने और स्कैनरों/जनगणना अनुसूचियों की स्कैनिंग के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

finalisation of plan schemes and requirement of less funds towards fire hazard and risk analysis study, domestic travel expenses and office expenses.

(E) "Official Language" –

(a) "Teaching Hindi to Central Government Employees" - saving of ₹118.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1708.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards leave travel concession and leave encashment.

(b) "Other Schemes" - saving of ₹1527.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2906.65 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in November, 2011) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of plan schemes, non-completion of the work on software development and non-receipt of administrative approval to the policy relating to advertisement and publicity.

(IV) Under Major Head "3454" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Census" -

(a) "Direction and Administration – Superintendence" - saving of ₹1789.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7072.89 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards honorarium.

(b) "Computerisation of Census Data" –

(i) "Computer System for Processing Census Data" - saving of ₹1188.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8087.33 lakhs) was due to non-materialisation of proposals, non-receipt of claims from Hindustan Computers Limited and requirement of less funds towards scanners/ scanning of Census Schedules.

(ii) ''आंकड़ा केन्द्रों का उन्नयन'' - ₹202.79 लाख की बचत (₹360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई ।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''परिगणन'' - ₹4098.20 लाख की बचत (₹108991.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना संबंधी पदधारियों के लिए राज्य सरकारों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''पृथक्करण और संकलन'' - ₹698.24 लाख की बचत (₹7138.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना, 2011 अनुसूचियों के भण्डारण के लिए स्टील रैंकों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) ''पंजीकरण, प्रोन्नति पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन'' - ₹176.77 लाख की बचत (₹3314.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर'' - ₹140256.22 लाख की बचत (₹273116.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई ।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - ₹665.37 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई ।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - नागरिक सुरक्षा के नवीकरण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान'' - ₹474.19 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "Upgradation of Data Centre" - saving of ₹202.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹360.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Enumeration" – saving of ₹4098.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108991.00 lakhs) was due to receipt of less claims from State Governments towards census functionaries.

(ii) "Abstraction and Compilation" – saving of ₹698.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7138.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards steel racks for storage of Census 2011 Schedules.

(iii) "Registration, Promotion Method, Research and Population Studies" – saving of ₹176.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3314.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Surveys and Statistics - Other Expenditure - National Population Register" – saving of ₹140256.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹273116.57 lakhs) was due to non-finalisation of plan schemes, non-receipt of claims from State Governments and less tours undertaken.

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Non-Plan Grants - Other Administrative Services - Civil Defence - Reimbursement to States for Civil Defence" - saving of ₹665.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Block Grants – Grants-in-aid to States for revamping of Civil Defence" – saving of ₹474.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate utilization certificate from the State Governments.

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹441.00 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थी ।

(VI) Under five heads savings of ₹441.00 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 22 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1934.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - गृह मंत्रालय" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹481.53 लाख था ।

2.(I) The above savings were partly (₹1934.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Home Affairs". Actual excess, however, was ₹481.53 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3454" - "जनगणना - अन्य व्यय - प्रकाशन" - ₹146.16 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान अधिक प्रकाशन होने के कारण हुआ ।

(A) Major Head "3454" - "Census - Other Expenditure - Publications" - excess of ₹146.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to more publication during the year.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(B) Major Head "3601" –

(क) "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - होम गार्ड - होम गार्ड के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति" - ₹765.37 लाख का अधिक व्यय (₹3739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(a) "Non-Plan Grants – Other Administrative Services – Home Guards - Reimbursement to States for Home Guards" - excess of ₹765.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3739.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of claims received from various State Governments.

(ख) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण" - ₹817.21 लाख का अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(b) "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Modernisation of Fire Services in States" - excess of ₹817.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards modernization of fire services.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2151.69 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2460.00 लाख के पूरक अनुदानों का 87 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2151.69 lakhs) constituted 87 percent of the supplementary grant of ₹2460.00 lakhs obtained in March, 2012 and 40 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1100.00			
पू.	S.	2451.00	3800.00	2176.82	-1623.18
पु.	R.	249.00			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	1324.00			
पू.	S.	9.00	1084.00	864.15	-219.85
पु.	R.	-249.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing		461.00	152.34	-308.66

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा: -

(का) "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर" - ₹100.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो तथापि, ₹60.29 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं; और

(खा) "राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर" - ₹1000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2251.00 लाख के पूरक अनुदानों को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3251.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹1313.89 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण हुईं ।

(I) Supplementary grant obtained under Major Head "4059" – "General – Construction" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "National Civil Defence College, Nagpur" - funds of ₹100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹60.29 lakhs; and

(B) "National Fire Service College, Nagpur" - the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹3251.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2251.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1313.89 lakhs.

Savings under the above two heads were due to delay in construction work by Central Public Works Department.

(II) मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनगणना'' - ₹250.35 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय'' - ₹169.39 लाख की बचत (₹251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के आवासों पर सुरक्षा संबंधी कार्य'' के अंतर्गत ₹308.66 लाख की बचत (₹461.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संरक्षितों के आवास पर नवीकरण कार्य पूरा न हो पाने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Census" - saving of ₹250.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of machinery and equipments.

(B) "National Fire Service College" - saving of ₹169.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹251.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals.

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing – Security related works at the residences of Protectees" - saving of ₹308.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹461.00 lakhs) was due to non-completion of renovation work at protectees residence by Central Public Works Department.